

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :— एफ.4(ई)(डी-3241/2013)/अलेसे-II/384

दिनांक :— 09/07/2024

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न पाठ्यक्रम की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | लिंक नं. | नाम                                            | पाठ्यक्रम               | आयोजक संस्था                                                            | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय                                                                           |
|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                                              | 4                       | 5                                                                       | 6                                                                                                   |
| 1        | 3241     | श्री दीप सिंह,<br>सहायक<br>लेखाधिकारी ग्रेड-II | पी.एच.डी<br>(part-time) | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय<br>मुक्त विश्वविद्यालय,<br>मैदान गढी, नई दिल्ली | महाप्रबन्धक (तकनीकी) सह<br>परियोजना निदेशक राजस्थान<br>राज्य राजमार्ग प्राधिकरण<br>पी.आई.यू., जयपुर |

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 3 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 4 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 5 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

  
(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :— एफ.4(ई)(डी-3241/2013)/अलेसे-II/384

दिनांक :— 09/07/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महाप्रबन्धक (तकनीकी) सह परियोजना निदेशक राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण पी.आई.यू., जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री दीप सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय महाप्रबन्धक (तकनीकी) सह परियोजना निदेशक राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण पी.आई.यू., जयपुर।

  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)